



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 कार्तिक, 1944 (श०)

संख्या - 523 राँची, गुरुवार,

3 नवम्बर, 2022 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

संकल्प

1 नवम्बर, 2022

पत्रांक-02/कृ०गो०रा०-05/2019- 2914/कृ०---श्री ओम प्रकाश चौधरी, तत्कालीन जिला उद्यान पदाधिकारी, देवघर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2017-18 में देवघर जिलान्तर्गत मसाले की खेती, बागवानी एवं हाईब्रीड सब्जियों की खेती के लिए सामग्रियों के खरीद में बरती गयी अनियमितता एवं खरीदी गयी सामग्रियों से संबंधित फर्जी अभिश्रव के आधार पर सरकारी राशि का गबन एवं बंदरबांट करने के आरोपों के संदर्भ में गठित आरोप पत्र में सन्निहित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित प्रतीत होने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या-1091 दिनांक-06.07.2020 के द्वारा श्री चौधरी के विरुद्ध गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम-16 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया है।

2. श्री चौधरी दिनांक-31.05.2021 को ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः विभागीय संकल्प संख्या-1091 दिनांक-06.07.2020 द्वारा इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 (B) के तहत संपरिवर्तित करने का निर्णय लिया जाता है।
3. विभागीय संकल्प संख्या-1091 दिनांक-06.07.2020 को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आनन्दमय बनर्जी,
सरकार के उप सचिव।
